

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(65)नवि/3/06-ए

जयपुर दिनांक: 19.12.07

:: संशोधित आदेश ::

विषय: निजी कृषि भूमि/निजी खातेदार/निजी विकासकर्ता/निजी निवेशकर्ता एवं टाउनशिप परियोजना पर प्रभारित मुद्रांक शुल्क के संदर्भ में।

संदर्भ:- इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक प.3(65)नवि/3/06-ए जयपुर दिनांक: 02.11.07

राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, आदेश देती है कि निजी कृषि भूमि/निजी खातेदार/निजी विकासकर्ता/निजी निवेशकर्ता एवं टाउनशिप परियोजना द्वारा केवल कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि के नियमन/रूपान्तरण प्रकरणों में भूखण्डों जिनका नियमन/रूपान्तरण किया जाना है पर राज्य सरकार द्वारा प्रचलित दर से देय मुद्रांक कर उक्त पट्टे (लीजडीड) पर नियमन शुल्क/रूपान्तरण शुल्क, ब्याज पेनल्टी राशि को शामिल करते हुए संदत प्रतिफल की कुल राशि पर राज्य सरकार द्वारा प्रचलित मुद्रांक शुल्क की दर से मुद्रांक कर देय होगा। निजी कृषि भूमि/निजी खातेदार/निजी विकासकर्ता/निजी निवेशकर्ता एवं टाउनशिप परियोजना के प्रकरणों में नियमन शुल्क/रूपान्तरण का अर्थ उरा क्षेत्र की प्रचलित नियमन राशि/रूपान्तरण शुल्क का 4 गुना राशि से होगा। उक्त आदेश राजस्थान की समस्त स्थानीय निकायों, समस्त नगर विकास न्यासों एवं जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल पर तत्काल प्रभावशील होगा।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की गणना के लिए रूपान्तरण शुल्क/नियमन शुल्क राशि का 4 गुना करने के पश्चात ब्याज एवं पेनल्टी की राशि जोड़ी जायेगी।

यह कि उक्त प्रकार के किसी भी मामले में अदा किये जा चुके मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का रिफण्ड देय नहीं होगा। इस संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अधिकरण में यह आदेश जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्थापना शासन विभाग।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
10. सचिव, नगर विकास न्यास,
11. शसित पत्रावली।